



എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ  
(തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം, ഭാരത സർക്കാർ)  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



സബ് റീജിയണൽ ഓഫീസ് / उप क्षेत्रीय कार्यालय/ Sub Regional Office  
ഹൗസ്ഫെഡ് കോംപ്ലക്സ്, ശാസ്ത്രി നഗർ റോഡ്, എറന്ധിപാലം, കോഴിക്കോട് 673 006  
हाऊसफेड कॉम्प्लेक्स, शास्त्री नगर रोड, एरन्धिपालम, कोषिकोड-673 006  
Housefed Complex, Sasthri Nagar Road, Eranhpalam, Kozhikode-673 006  
Phone: 0495-2772270 / 2772260  
Email : dir-kozhikode@esic.nic.in

सं. 72. ए.49.13(2).2018 .रा.भा.

दिनांक: 19.01.2026

## परिपत्र/Circular

**विषय : हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना- वर्ष 2025 हेतु प्रविष्टियाँ आमंत्रित करने के संबंध में।**

**Subject: inviting entries under Hindi Prayog Protsahan Yojna- year 2025-reg.**

- निगम में “कर्मचारी राज्य बीमा निगम- हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना” जनवरी, 1985 से लागू है जिसकी अवधि प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से 31 दिसंबर तक होती है।  
“**Karmchari Rajya Beema Nigam- Hindi Prayog Protsahan Yojna**” is in force in the Corporation since January, 1985 period of which is from 01 January to 31st December every year.
- इस योजना में ₹1,200/- की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।  
An incentive amount of ₹1,200/- is awarded under this scheme.
- इस योजना में पुरस्कारों की संख्या सीमित नहीं है। मूल्यांकन समिति द्वारा पात्र पाए गए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सकती है।  
The number of prizes in this scheme is not limited. Incentives may be provided to all officers/officials found eligible by the Evaluation Committee.
- योजना में भाग लेने की पात्रता के लिए 'क' क्षेत्र स्थित निगम कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 100%, 'ख' क्षेत्र स्थित निगम कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा न्यूनतम 75% तथा 'ग' क्षेत्र स्थित निगम कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा न्यूनतम 50% कार्य हिंदी में किया जाना अनिवार्य है।  
To be eligible to participate in the scheme, it is mandatory that 100% work by the officials working in corporation offices located in region 'A', minimum 75% work by the officials working in corporation offices located in region 'B', and minimum 50% work by the officials working in corporation offices located in region 'C' must be done in Hindi.
- कार्यालय के अनुसचिवीय कार्य (टिप्पण-आलेखन) करने वाले सभी अधिकारी/कर्मचारी (कार्यालय प्रमुख सहित) इस योजना में भाग ले सकते हैं। तथापि योजना अवधि में राजभाषा शाखा में तैनात कार्मिक इस योजना में भाग नहीं ले सकते।  
All officers/employees (including Head of Office) performing secretarial work of the office can participate in this scheme.
- तथापि योजना अवधि में राजभाषा शाखा में तैनात अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग नहीं ले सकते।  
However, officers/employees posted in the Official Language Branch during the scheme period cannot participate in this scheme.
- सभी अधिकारी/ शाखा प्रबंधक एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अपने नियंत्रण अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित प्रपत्र ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।  
All the Officers/Branch Managers and Social Security Officers must submit their proformas countersigned by their controlling officer, otherwise their applications will not be entertained.
- तदनुसार, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोषिकोड तथा अधीनस्थ शाखा कार्यालयों के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने वर्ष 2025 के दौरान निर्धारित प्रतिशतता ('ग' क्षेत्र स्थित कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत) में सरकारी कामकाज हिंदी में किया है, उनसे संलग्नक “क” में प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं।  
Accordingly, entries in the **Annexure” A”** are invited from the officers/employees of the Sub Regional Office, Kozhikode and subordinate Branch Offices who have done official work in Hindi in the prescribed percentage during 2025 (50% for the officials working in the offices situated in Region ‘C’).
- प्रविष्टियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.02.2026 है।  
Last date of submission of entries is 10.02.2026.
- अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।  
Entries received after the last date will not be entertained.

- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।  
It is also clarified that the applications received in the prescribed proforma will only be entertained.

कृपया इस प्रोत्साहन योजना को सभी सहकर्मियों/अधीनस्थों के संज्ञान में लाएं एवं उन्हें इसमें प्रतिभागिता करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह भी अनुरोध है कि जो अधिकारी/कर्मचारी वर्ष 2026 के दौरान इस योजना में भाग लेना चाहते हैं वे उनके द्वारा निष्पादित कार्यों का रिकॉर्ड रखें ताकि मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत किया जा सके।

Please bring this incentive scheme to the notice of all the colleagues/subordinates and encourage them to participate in this. The officers/employees who wish to participate in this scheme for the year 2026, are requested to keep the record of their work so that it can be produced whenever asked for.

**अनुलग्नक/Enclosure :**

- मुख्यालय से जारी पत्र/letter issued by Hqrs.
- संलग्नक/Annexure : “क”/”A”

**Digitally signed by  
Sujeet Kumar Pradhan  
Date: 19-01-2026  
18:02:24**

**सहायक निदेशक (रा.भा. प्रभारी)  
Assistant Director (OL I/C)**

**प्रति/To**

1. महानिदेशक (राजभाषा), मुख्यालय, क,निगम.बी.रा. नई दिल्ली को सूचनार्थ।  
Director General (OL), Headquarters, ESIC, New Delhi for information please.
2. सभी कार्मिक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोषिकोड एवं शाखा कार्यालय।  
All officials, Sub Regional office Kozhikode and Branch Offices.
3. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे वेबसाइट पर अपलोड करें।  
Website Content Manager with a request to upload it on the website.

**संलग्नक/Annexure : "क"/"A"****कर्मचारी राज्य बीमा निगम- हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना के लिए प्रविष्टि प्रपत्र- वर्ष 2025  
Proforma for "Karmchari Rajya Beema Nigam- Hindi Prayog Protsahan Yojna" year 2025**

अधिकारी/कर्मचारी (आवेदक) का नाम :  
Name of the Officer/Employee (Applicant)

अधिकारी/कर्मचारी (आवेदक) का पदनाम :  
Designation of the Officer/Employee (Applicant)

अधिकारी/कर्मचारी (आवेदक) की कर्मचारी संख्या :  
Employee no. of the Officer/Employee (Applicant)

अधिकारी/कर्मचारी (आवेदक) का मोबाइल नं. :  
Mobile no. of the Officer/Employee (Applicant)

अधिकारी/कर्मचारी (आवेदक) का ई-मेल पता :  
E-mail address of the Officer/Employee (Applicant)

शाखा/डीसीबीओ/शाखा कार्यालय का नाम :  
Name of the Branch/Branch Office

अवधि (Period) : \_\_\_/\_\_\_/2025 से \_\_\_/\_\_\_/2025 तक

**अधिकारी/कर्मचारी (आवेदक) द्वारा घोषणा पत्र  
Declaration by the Officer/Employee**

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2025 के दौरान मैंने टिप्पण/आलेखन में 50 प्रतिशत या इससे अधिक कार्यालयीन कार्य हिंदी में किया है। इस अवधि में मैंने न तो मात्र टंकण/डायरी-डिस्पैच का कार्य किया है और न ही मैं राजभाषा शाखा में तैनात था/थी।

Certified that I have done 50% or more official work of noting/drafting in Hindi during the year 2025. During this period, neither I have done only typing/Diary-Dispatch work nor was I posted in "Official Language Branch".

दिनांक/Date :

आवेदक के हस्ताक्षर  
Signatures of the applicant

नियंत्रक/रिपोर्टिंग अधिकारी के मुहर सहित प्रति हस्ताक्षर  
Countersignatures of the Controlling/Reporting Officer along with Stamp